

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला विकास शाखा)
पत्रांक...../वि०

प्रेषक :-जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सहायक प्रबंधक,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज ।

मधेपुरा, दिनांक.....2016

विषय:- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय त्रैमास का खाद्यान्न का उपावंटन।

प्रसंग:- निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 1135 दिनांक 30.06.2016 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक NO.5-1/2016-Desk (MDM) दिनांक 02.04.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार से खाद्यान्न प्राप्ति के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय त्रैमास (जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 तक) का PAB 2016-17 के औसत लाभान्वित के आधार पर सरकार से प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, के पत्रांक 141 (उच्च) दिनांक 01.07.2016 से प्राप्त माँग पत्र के आलोक में मधेपुरा के सभी प्रखंडों में स्थित विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग V एवं VI से वर्ग VIII तक में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के लिए खाद्यान्न प्राप्ति के पश्चात् माह जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 तक द्वितीय त्रैमास का प्रखंडवार निम्नांकित विवरणी के अनुसार कुल 25098.90 (पच्चीस हजार अनठानवे क्वीटल नब्बे किलोग्राम) खाद्यान्न उपावंटित किया जाता है

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	वर्ग I से V के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्वी०में)			वर्ग VI से VIII के लिए आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्वी०में)			कुल आवंटित खाद्यान्न (क्वी०में) (5+8)
		PAB 2016-17 के आधार पर औसत लाभान्वित	औसत लाभान्वित के आधार पर द्वितीय त्रैमास में खाद्यान्न की आवश्यकता (क्वी०में)	द्वितीय त्रैमास में प्रखंड को दिये जाने वाले खाद्यान्न का आवंटन (क्वी०में)	PAB 2016-17 के आधार पर औसत लाभान्वित	औसत लाभान्वित के आधार पर द्वितीय त्रैमास में खाद्यान्न की आवश्यकता (क्वी०में)	द्वितीय त्रैमास में प्रखंड को दिये जाने वाले खाद्यान्न का आवंटन (क्वी०में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alamanagar	19179	1380.86	1380.86	7984	862.27	862.27	2243.13
2	Bihariganj	12857	925.68	925.68	4931	532.52	532.52	1458.20
3	Chausa	16857	1213.69	1213.69	7194	776.94	776.94	1990.63
4	Gamahariya	8774	631.74	631.74	3646	393.77	393.77	1025.51
5	Ghailadh	10092	726.66	726.66	3763	406.40	406.40	1133.06
6	Gwalapara	14285	1028.53	1028.53	5732	619.11	619.11	1647.64
7	Kumarakhand	28163	2027.71	2027.71	11675	1260.91	1260.91	3288.62
8	Madhepura	25192	1813.83	1813.83	9391	1014.20	1014.20	2828.03
9	Muraliganj	23237	1673.07	1673.07	10206	1102.23	1102.23	2775.30
10	Puraini	11114	800.21	800.21	4378	472.77	472.77	1272.98
11	Shankarapur	12736	916.97	916.97	5560	600.52	600.52	1517.49
12	Sinheshwar	14379	1035.26	1035.26	5753	621.28	621.28	1656.54
13	Udakishanaganj	20262	1458.89	1458.89	7434	802.88	802.88	2261.77
Total		217126	15633.10	15633.10	87646	9465.80	9465.80	25098.90

1. विभागीय अद्यतन निदेश के आलोक में राज्य खाद्य निगम के गोदाम से संबंध विद्यालय केन्द्र तक खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा सुनिश्चित करायेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार के व्यतिरेक/ व्यवधान के लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
2. इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदामों से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय अनुमान्य होगा।
3. राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के उठाव की सूचना प्रत्येक माह की 07 वीं तारीख तक राज्य स्तर पर एवं अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

अतः निदेश है कि संबंधित प्रखंड को उपावंटित खाद्यान्न ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 253/वि0, मधेपुरा, दिनांक 12/07/2016

- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त योजना के सतत् पर्यवेक्षण हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना / बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1135 दिनांक 30.06.2016 में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सहायक प्रबंधक से नियमित समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं शत प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे। एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अगली माह की 10वीं तारीख तक उपलब्ध करायेंगे इसके निमित्त आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक / क्षेत्र प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।